

19/3/25

पत्रावली पैरा हुई वकील प्रार्थी
उप. प्रतिवादीगण Reg. Act रखी है
व ट्रेड रिपोर्ट अनुसार तामिल मानी
जानी है। आज दिनांक तक उपस्थित
नहीं। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
अमल में लाई जानी है। वास्तु
वैध है। पत्रावली आयुक्त दिनांक
15/4/2025 को पैरा दी।

पुनश्च: इतना लिखते ही वकील प्रार्थी
बदल हेतु तैयार हुए। बदल वकील प्रार्थी
हुई। पत्रावली वास्तु आदेश पुनः
आदेश दिनांक 15/4/25 को पैरा दी।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

15/4/25

पत्रावली पैरा हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया कि प्रार्थी
वास्तु पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन
किया गया तथा बदल वकील प्रार्थी पर
मनन किया गया तथा जमाना दिखाने पर प्रार्थी
का अध्ययन किया गया। प्रार्थी हाथ प्रस्तुत
धारा 5 तथा अधिनियम के विधि को
सर्वप्रथम निर्दिष्ट करना आवश्यक समझा
है। प्रार्थी हाथ धारा 5 तथा अधिनियम
में शशापत्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी

Order Sheet

CNR NUMBER 2023/442

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक अधिकारी (फास्ट ट्रेक), जोधपुर at

Order of the Case: U/S - 09 Rg CPC
Number of Case: C/01/ Year 2023
Mohanram Versus Joram Singh Mahajan & Ors

Order with initials of Presiding Officer | Brief note of compliance of the Order

करते हुए दस्तावेज प्रार्थना-पत्र बका
रेस्टोरेशन प्र-पत्र अन्तर्गत 09 Rg CPC
पेश करने में हुए देरी के कारणों
को पधारित, सुमित सुमित एवं शिवलाल
महाराज हुए प्रार्थी या प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 5 भाग 3 अधिनियम
रखीकार क्रिया जाकर प्रार्थना-पत्र
पेश करने में हुए देरी को कठोर क्रिया
जाता है।

प्रार्थी द्वारा मूल वाद अद्य
दलील अद्य पेशी में उपस्थित होने
के दस्तावेज प्र-पत्र अन्तर्गत 09 Rg
N/w sec 151 CPC प्रस्तुत कर प्रार्थी
वादी के नानातिक रूप में स्वतंत्र
न होने के कारण साक्ष्य वादी के
उपस्थित न होने के कारण कर वाद
पुनः नवंबर पर लिखे जाने का निर्देश
क्रिया गया। होने प्रार्थी के कथन
लिखे कथनों पर शिवलाल महाराज हुए
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन कर क्रिया गया। प्रार्थी के कथनों
का क्रिया प्रकार का निर्देश उपलब्ध
निर्दिष्ट खण्ड पत्रावली पर उपलब्ध

Order Sheet (Subsequent)

2023/442
CNR NUMBER

C/01/ Year 2023

Number of Cases: जोधपुर Versus जोधपुर
मि. देवराज उर्फ जोधपुर
जिस - 09R3 R.P.A. 1953 उर्फ जोधपुर

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief notes of the case
	<p>नहीं है। अतः दफा 1 के अन्तर्गत प्रमाणों का गुणावगुण पर विचार करने हेतु तथा वादी के पूर्व अनुसंधानों के कारण को - माफौत में पर्याप्त हेतु मानते हुए याची का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित रहेगा।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर याची का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 तथा अधिनियम के प्रा.पत्र अन्तर्गत अदालत के अधिकारों के अन्तर्गत धारा 15A CPC स्वीकार किया जाता है। मूल वाद पुनः नए पर लिया जाता है। फतावली के तहत युक्त होकर नए से नए होकर शकिल होता है।</p>	

(Signature)
 न्यायाधीश
 (अधीनस्थ) जोधपुर

